नियम 113 : निपटान के पश्चात् केस फाइलों की अनुक्रमणिका बनाना

पक्षकारों या प्राधिकृत प्रतिनिधि को आदेश की सूचना देने के पश्चात्, संबंधित अधिकारी अभिलेखों को पृष्ठांकन सहित व्यवस्थित करेगा और अपील अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुक्रमणिका शीट में तैयार करेगा। वह अभिलेखों पर अपने हस्ताक्षर लगाएगा और फिर अनुक्रमणिका के साथ अभिलेखों को अभिलेख कक्ष में भेजेगा।